

# सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रधान कार्यालय अम्बिकापुर

संशोधित सेवा प्रभार दिनांक 01.10.2011 से प्रभावशील

**बाहरी केन्द्र के चेकों के संग्रहण हेतु (वसूलीकर्ता बैंक द्वारा ग्राहक से लिये जाने वाले प्रभार)**

	बचत खाते के अतिरिक्त अन्य खातों के लिए	केवल बचत खाता के लिए
रु. 5000 / तक	----	रु0 25.00
रु. 5000 / से अधिक 10000 / तक	----	रु0 50.00
रु. 10000 / तक	रु. 50.00	-----
रु. 10001 / से 100000 / तक	रु. 100.00	100.00
रु. 100000 / से अधिक	रु. 150.00	रु0 4.50 प्रति हजार अधिकतम 20000 /

उक्त संग्रहण दरों में सेवा प्रभारों को छोड़कर सभी प्रभार (डाक, कुरियर, हैंडलिंग प्रभार) शामिल हैं। सर्विस टैक्स पृथक से लागू दर के अनुसार लिया जावे।

## **चेक बुक प्रभार**

1. बचत खाता अ- संस्थागत खाते	प्रथम 40 (चालीस पन्ना) तक की चेक निःशुल्क 40 पन्नों के ऊपर प्रति पन्ना 2 / (रु. दो) प्रभारित किया जावे।			
ब- व्यक्तिगत खाता	प्रथम चालीस पन्ना निःशुल्क। 40 पन्नों के ऊपर 1.50 रु. प्रति पन्ना प्रभारित करें।			
2. चालू खाता अ-संस्थागत / कम्पनी / फर्म	प्रति चेक पन्ना - रु. 2.50 (दो रूपये पचास पैसे) प्रभारित किया जावे।			
ब- व्यक्तिगत खाता	प्रति पन्ना रु. 1.50 एक रूपये पचास पैसे प्रभारित किया जावे।			
	बचत खाता / चालू खाता			
	संस्थागत		व्यक्तिगत	
पासबुक / खाता विवरणी देना	निःशुल्क		निःशुल्क	
ग्राहक के आवेदन के आधार पर शेष प्रमाण पत्र / ब्याज प्रमाण पत्र जारी करना	रु. 30 / (तीस) प्रति प्रमाण पत्र		रु. 25 / (पच्चीस) प्रति प्रमाण पत्र	
डुप्लीकेट पास बुक / विवरणी जारी करना	रु. 25 / प्रति पास बुक नवीनतम शेष बैलेन्स ही लिखा जावे। पूर्ण प्रविष्टि का आवेदन करने पर रु. 30 / की दर से प्रति 40 प्रविष्टि शुल्क लिया जावे।		रु. 20 / प्रति पास बुक जिसमें नवीनतम शेष बैलेन्स ही लिखा जावे। पूर्ण प्रविष्टि का आवेदन देने पर रु. 25 / प्रति 40 प्रविष्टि शुल्क लिया जावे।	
	बचत खाता		चालू खाता	
	संस्थागत	व्यक्तिगत	संस्थागत	व्यक्तिगत
स्टाप पेमेंट शुल्क	रु. 50 / प्रति निर्देश	रु. 30 / प्रति निर्देश	रु. 100 / प्रति निर्देश	रु. 80 / प्रति निर्देश

टीप- स्टाप पेमेंट निर्देश के उपरांत निर्देशित चेक वापस करने पर चेक वापसी शुल्क प्रभारित नहीं किया जावे।

**एक वर्ष के भीतर जमा खाता बंद करना-**

	संस्थागत/फर्म आदि	व्यक्तिगत
नो फ़िल खाता	लागू नहीं	निःशुल्क
बचत खाता	रु. 30 /	रु. 20 /
चालू खाता	रु. 100 /	रु. 80 /
	<b>संस्थागत बचत/चालू खाते</b>	<b>व्यक्तिगत बचत/चालू खाते</b>
चेक वापसी जिसके कारण बैंक की निधि प्रभावित हुई हो	रु. 100 /- प्रभावित निधि पर प्रभावित दिनों के लिए 16 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जावे ब्याज राशि न्यूनतम रु. 30 / होगी।	रु. 50 / प्रभावित निधि पर प्रभावित दिनों के लिए 16 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जावे ब्याज राशि न्यूनतम रु. 30 / होगी।
ग्राहकों द्वारा हस्ताक्षर/प्रमाणित कराये जाने पर	रु. 50 /	रु. 30 /
फोटो प्रमाणित कराये जाने पर	रु. 50 /	रु. 30 /
हस्ताक्षर/फोटो दोनों एक साथ प्रमाणित कराये जाने पर	रु. 50 /	रु. 30 /
नो-ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करना		
शासकीय योजना के तहत ऋण आवेदन में	निःशुल्क	निःशुल्क
अन्य ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी शाखाएँ	रु. 50 /	रु. 10 /
शहरी एवं महानगर शाखा	रु. 100 /	रु. 20 /
निधि अंतरण		
डी.डी./पी.ए.पी. विनिमय दर		
रु. 1000 / तक	रु. 25 /	रु. 20 /
रु. 1000 / से अधिक रु. 10000 / तक	रु. 35 /	रु. 30 /
रु. 10000 / से अधिक एक लाख तक	रु. 3.50 प्रति हजार न्यूनतम 35 /	रु. 3.50 प्रति हजार न्यूनतम रु. 35 /
रु. एक लाख से अधिक	रु. 2.50 प्रति हजार न्यूनतम रु. 350 / अधिकतम रु. 10000 /	रु. 2.50 प्रति हजार न्यूनतम रु. 350 / अधिकतम रु. 10000 /

टीप-नकद राशि से डी.डी./पीएपी बनाये जाने की स्थिति में उक्त दरों से 25 प्रतिशत अतिरिक्त विनिमय लिया जावे।

डी.डी./पी.ए.पी. निरस्त करना (कैसिल)	100 / प्रति	रु. 50 / प्रति
पुनःतिथि प्रमाणित करना (रिवेलिडेशन)	रु. 100 / प्रति	रु. 50 / प्रति
<b>'डुप्लीकेट डीडी / जारी करना</b>		
रु. 10000 / तक	रु. 35 / प्रति	रु. 30 / प्रति
रु. 10000 / से अधिक	रु. 100 / प्रति	रु. 75 /

'ग्राहक द्वारा नियमानुसार दस्तावेज जमा किये जाने पर ही

### **बैंकर्स चेक/पे आर्डर जारी करना**

रु. एक हजार तक	रु. 25 /	रु. 20 /
रु. एक हजार से अधिक दस हजार तक	रु. 35 /	रु. 30 /
रु. दस हजार से अधिक एक लाख तक	रु. 3.50 प्रति हजार न्यूनतम 35 /	रु. 3.50 प्रति हजार न्यूनतम 35 /
रु. एक लाख से अधिक	रु. 2.50 प्रति हजार न्यूनतम रु. 350 / अधिकतम रु. 10000 /	रु. 2.50 प्रति हजार न्यूनतम 350 / अधिकतम रु. 10000 /

टीप- नकद राशि से पे आर्डर/बैंकर्स चेक बनवाये जाने पर उक्त दर में 25 प्रतिशत अधिक विनिमय लिया जावे।

बैंकर्स चेक/पे आर्डर निरस्त करना (कैसिल)	100 / प्रति	रु. 50 / प्रति
पुनःतिथि प्रमाणित करना (रिवेलिडेशन)	रु. 100 / प्रति	रु. 50 / प्रति
<b>डुप्लीकेट बैंकर्स चेक/पे आर्डर जारी करना</b>		
रु. 10000 / तक	रु. 35 / प्रति	रु. 30 / प्रति
रु. 10000 / से अधिक	रु. 100 / प्रति	रु. 75 /

फोलियो चार्ज- (चालू खाता/साख सीमा खाता/अधिविकर्ष खाता रु. 50 / (प्रति 40 प्रविष्टि पर)

### **बचत खातों में सेवा शुल्क**

एक तिमाही में 25 बार आहरण निःशुल्क  
इससे अधिक के आहरण संख्या होने पर रु. 10 / प्रति आहरण  
डुप्लीकेट सावधि जमा प्रमाण पत्र (नियमानुसार दस्तावेजों के जमा करने पर)  
जारी करने पर कोई सेवा शुल्क नहीं।

सावधि जमा प्रमाण पत्र का संग्रहण बचत खातों की शेष राशि अंतरण	अंतर शाखा संग्रहण की स्थिति में कोई शुल्क नहीं लिया जावे। तथापि अन्य बैंक की सावधि जमा प्रमाण पत्र संग्रहण कराने की स्थिति में राशि प्रेषण कर्ता (रेमिटिंग शाखा) ही निधि अंतरण सेवा शुल्क के अनुसार विनिमय राशि की वसूली करेगी।
स्थायी अनुदेश (स्टेंडिंग इन्स्ट्रक्शन)	रु. 10 / प्रति निर्देश। शाखा से संबद्ध होने पर। अन्य शाखा को राशि अंतरण के निर्देश होने पर राशि के आकार के अनुरूप निधि अंतरण विनिमय एवं डाक व्यय अतिरिक्त लिया जावे।

आवर्ती खाते में प्रति माह राशि का अंतरण, ऋण किस्त की कटौती, सावधि खाते में राशि अंतरण के निर्देश पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जावे। तथापि उक्त आदेश के पालन में निदेश देने वाले खातेदार के खाते में निदेशानुसार पर्याप्त राशि शेष न रहने पर रु. 25/ प्रति निर्देश के दर से कटौती की जावे।

### न्यूनतम राशि का रख-रखाव

नो फ़िल खाते	शून्य	औसत नहीं रहने पर सेवा प्रभार
बचत खाते		
ग्रामीण शाखा	रु. 250 /	रु. 30 / प्रति तिमाही
अर्द्धशहरी शाखा	रु. 500 /	रु. 60 / प्रति तिमाही
चालू खाता		
ग्रामीण शाखा	रु. 3000 /	रु. 150 / प्रति तिमाही
अर्द्धशहरी शाखा	रु. 3000 /	रु. 225 / प्रति तिमाही

टीप- पेंशन भोगी, बैंक में कार्यरत स्टाफ/बैंक के अवकाश प्राप्त स्टाफ/छात्र एवं वरिष्ठ नागरिक (जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक हो) के खातों में उक्त सेवा प्रभार नहीं लिया जावेगा।

खातेदार द्वारा बैंक खातों के स्पेसिमेन हस्ताक्षर को बदलने के लिए आवेदन पत्र (केवल चालू खाता/सीसी खाता/अधिविकर्ष खाता में)	रु. 100 / प्रति हस्ताक्षर
लाकर्स किराया	
छोटा लाकर (1000 वर्ग से.मी.)	रु. 500 / प्रतिवर्ष प्रति लाकर
मध्यम लाकर (8000 वर्ग सेमी)	रु. 1000 / प्रतिवर्ष प्रति लाकर
बड़ा लाकर (8000 वर्ग सेमी से बड़ा)	रु. 2500 / प्रति वर्ष प्रति लाकर
टोकन गुम होने पर	रु. 100 / प्रति टोकन प्रभार लिया जावे।
सालवेसी प्रमाण पत्र जारी करने पर	(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी करने पर)
रु. 5.00 लाख तक	रु. 500 /
रु. 5 लाख से अधिक रु. 10 लाख तक	रु. 200 / प्रति लाख अधिकतम 1500 /
रु. 10 लाख से अधिक रु. 50 लाख तक	रु. 150 / प्रति लाख न्यूनतम 3000 /
रु. 50 लाख से अधिक	रु. 12000 /

पुराने अभिलेखों का अवलोकन (ग्राहक द्वारा आवेदन के आधार पर) अभिलेख की प्रति नहीं दी जायेगी।

अभिलेखों की अवधि

36 माह तक की अभिलेख-

रु. 50 / प्रति अभिलेख

36 माह से अधिक पुरानी अभिलेख

रु. 100 / प्रति अभिलेख

विवरण	शुल्क का नाम	राशि	शुल्क
आर.टी.जी.एस. - (रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट)	आवक शुल्क (इनवर्ड)		निःशुल्क
	जावक शुल्क(आउटवर्ड)	रु. 2 लाख से 5 लाख तक रु. 5 लाख से अधिक	रु. 25 / - कर रु. 50 / - कर
एन.ई.एफ.टी. (नेशनल इलेक्ट्रानिक फण्ड)	आवक शुल्क (इनवर्ड)		निःशुल्क
	जावक शुल्क(आउटवर्ड)	रु. 1 लाख तक रु. 1 लाख से रु. 2	रु. 5 / - कर रु. 15 / - कर

ट्रांसफर		लाख तक	
नकद जमा	गृह शाखा (होम ब्रांच)		निःशुल्क
	गृह शाखा को छोड़कर किसी अन्य शाखा में	रु. 25000 /- तक रु. 25000 /- से रु. 50000 /- तक (एक दिन में अधिकतम जमा रु. 50000 /-)	निःशुल्क रु. 2 /- प्रति हजार
नकद आहरण	गृह शाखा (होम ब्रांच)		निःशुल्क
	गृह शाखा को छोड़कर किसी अन्य शाखा में	रु. 25000 /- तक रु. 25000 /- से रु. 50000 /- तक (एक दिन में अधिकतम निकासी रु. 50000 /-) विशेष-अन्य शाखा से आहरण हेतु सिर्फ चेक अनुमत होगा।	निःशुल्क रु. 2 /- प्रति हजार
समाशोधन जमा (क्लियरिंग क्रेडिट)	गृह शाखा (होम ब्रांच)		निःशुल्क
	गृह शाखा को छोड़कर उसी शहर में अन्य शाखा		निःशुल्क
	गृह शाखा को छोड़कर किसी अन्य शहर की शाखा में		ओ.सी.सी. शुल्क के अनुसार
अंतरण लेनदेन	ग्राहकों के द्वारा स्वयं के एक खाते से दूसरी शाखा में स्वयं के दूसरे खाते में अंतरण करने पर		निःशुल्क
	दो अलग-अलग खातेदारों के द्वारा, अलग-अलग खातों में, अलग-अलग शाखाओं में अंतरण करने पर		ओसीसी शुल्क के अनुसार

ध्यान रखें कि—

1. सभी शासकीय खातों, ग्राम पंचायत के खातों में संग्रहण शुल्क, चेक बुक शुल्क, फोलिया प्रभार, न्यूनतम जमा शेष प्रभार न लिया जावे।
2. सभी प्रभारों में वर्तमान में लागू सर्विस टैक्स पृथक से लिया जावे।
3. वर्तमान में अर्द्धशहरी शाखा निम्नानुसार है—
  1. अम्बिकापुर 2. फुन्दुरडिहारी 3. बैकुण्ठपुर 4. पोन्डीहिल 5. पोंडी वेस्ट चिरमिरी
  6. नागपुर 7. मनेन्द्रगढ़ 8. सूरजपुरशेष सभी शाखा वर्तमान में ग्रामीण शाखा की श्रेणी में है।
4. नो फ़िल खातों में अधिकतम जमा शेष रू. 50000/ अनुमत है एवं वर्ष के दौरान कुल आहरण सीमा रू. 10000/ अनुमत है।

**संग्रहण एवं निधि अंतरण की निःशुल्क सुविधा की पात्रता निम्नानुसार है**

1. बैंक के सेवा से अवकाश प्राप्त कार्मिक (जिनका व्यक्तिगत कार्य हो)
2. सभी शासकीय विभाग (छत्तीसगढ़ प्रदेश), सभी केन्द्रीय शासकीय विभाग जो केन्द्र सरकार के वाणिज्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति, टेक्सटाईल्स, रेल्वे, रक्षा मंत्रालय के हो)
3. सभी धार्मिक न्यास, कल्याणकारी संस्था, चैरिटी संस्था (जिन्हें आयकर से छूट की पात्रता हो)
4. अनुदान राशि का धनादेश अथवा ड्राफ्ट जो राज्य/केन्द्र शासन द्वारा जारी किया गया हो (सभी शासकीय योजना हेतु)
5. दृष्टिहीनों, शारीरिक विकलांगों को व्यक्तिगत अथवा इनके सेवार्थ संस्था।
6. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अपने बैंक द्वारा स्थापित सहकारी संस्था अथवा प्राथमिक कृषक समिति।
7. **केवल शासकीय ऋण योजनांतर्गत ही** ऋण खाते में बैंक द्वारा जारी आपूर्ति आदेश के परिणाम स्वरूप प्राप्त देयक पर नियमानुसार बैंकर्स चेक/पे आर्डर/पीएपी/ड्राफ्ट
8. प्रधान मंत्री सहायता फण्ड/मुख्य मंत्री सहायता फण्ड/राष्ट्रीय सुरक्षा फण्ड हेतु

समस्त शाखा स्टाफ को नोट करावें।

(महाप्रबंधक)